

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-283 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SUDHIR PRAKASH SHUKLA

...APPLICANT

VERSUS

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 OF THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	COPIES OF LETTERS DATED 30.09.2025 AND 23.12.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	A COPY OF LETTER DATED 23.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	COPIES OF LETTER DATED 24.12.2025 AND SITE INSPECTION REPORT DATED 24.12.2025 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 24.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	COPIES OF FIR DATED 25.06.2025; AND FURTHER PROCEEDINGS INITIATED UNDER SECTION 27 AND 27(1) OF THE UTTAR PRADESH TOWN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	A TRUE COPY OF ORDER DATED 26.08.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-6	
8.	A TRUE COPY OF MEMO OF THE APPEAL IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-7	
9.	COPIES OF THE FIR DATED 25.06.2025; AND FURTHER PROCEEDINGS INITIATED UNDER SECTION 27 OF THE	

	UTTAR PRADESH TOWN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 1973 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-8	
10.	A COPY OF LETTER DATED 26.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-9	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bpsjadon@gmail.com)
PHONE NO.-7838248353

Date: 29.12.2025

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-283 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SUDHIR PRAKASH SHUKLA

...APPLICANT

VERSUS

KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS. ...RESPONDENT(S)

REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR, UTTAR
PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 OF THE
HON'BLE TRIBUNAL

litendra Pratap Singh aged about 53 years S/o Late Sri Sukhendra Pal Singh,

presently posted as District Magistrate, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh do here by


solely affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the

facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

K



I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present matter, the Applicant has raised grievances regarding alleged encroachment upon park land at two plots, namely Plot No. 152, Block W-1, Juhi Kalan, Saket Nagar, Kanpur City, Uttar Pradesh, admeasuring 3719 sq. m., and Plot No. 84/63, Welfare Society, Tezab Mill Campus, Kanpur, Uttar Pradesh.
4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 06.10.2025 directed as follows:

"...1. Learned Counsels for Respondents No. 1 and 2 to 6 seek one months' time for filing of the responses which prayer is allowed.

List on 05.01.2026 for further consideration..."

REPLY IS AS FOLLOWS

A. DIRECTION ISSUED BY DEPONENT TO THE CONCERNED AUTHORITIES

5. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide letter No. 8714/S.T./2025 dated 30.09.2025 and again vide letter No. 242/S.T./2025 dated 23.12.2025, directed the Secretary, Kanpur Development Authority to take necessary action in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal and to apprise the deponent of the action taken regarding the grievance raised in the present matter.

Copies of letters dated 30.09.2025 and 23.12.2025 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-1*.

6. That, further, the deponent vide letter no. 243/S.T./2025 dated 23.12.2025 directed SDM (Sadar), Kanpur Nagar to conduct physical inspection of the two

↓

sites/plots in question and verify the factual status of grievances raised by the applicant in the present matter.


A copy of letter dated 23.12.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-2*.

**B. SITE INSPECTION CARRIED OUT BY SDM/TEHSILDAR (SADAR),
KANPUR NAGAR**

7. That, SDM (Sadar), Kanpur Nagar vide letter no. 298/ST-Investigation/2025 dated 24.12.2025 informed that the site inspection of sites/plots in questions have been carried out by Tehsildar (Sadar), Kanpur Nagar on 24.12.2025. Further, site inspection report by Tehsildar dated 24.12.2025 disclose the follows:

i. That, upon inspection of the first site in question- Plot No. 152, Block W-1, Scheme-2, Juhi Kalan, it was found that the said premises form part of a residential scheme developed by the Kanpur Development Authority. The property falls within the jurisdiction of the Kanpur Development Authority. A community center has been constructed on a portion of the plot admeasuring about 500 sq. m., and the same is reportedly managed by the Dr. Brijkishore Dubey Memorial Committee and operated by the Ramakrishna Dubey Memorial Committee. No construction was observed on the remaining portion of the plot, where a park exists; however, the park was found to be encroached upon by the said community center.

ii. That, upon inspection of the second site in question- Plot No. 84/63, Welfare Society, Tezab Mill Campus, Kanpur City, it was found that the entire plot is presently inhabited; and residential, commercial, and business establishments are



[Handwritten mark]

operating thereupon. Local residents informed that a portion of the plot earlier used to be a park, where the Dr. Brijkishore Dubey Memorial School has been constructed. The said property also falls within the jurisdiction of the Kanpur Development Authority. Constructions were found on the plot, where activities for various purposes are being carried out.

Copies of letter dated 24.12.2025 and site inspection report dated 24.12.2025 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-3*.


C. ACTIONS UNDERTAKEN BY THE KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

8. That, OSD, Enforcement (Zone 3), Kanpur Development Authority vide letter no. 833/OSD-EZ3/KDA/2025-26 dated 24.12.2025 informed the deponent about the current status of the action taken in compliance with the directions of Hon'ble Tribunal in the present matter.

A copy of letter dated 24.12.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.

9. That, vide letter dated 24.12.2025 mentioned in the para above, the following has been informed with respect to the first site in question i.e. Plot No. 152, Block W-1, Scheme-2, Juhi Kalan (admeasuring around 3719 sq.m):

- i. That, a Community Centre has been constructed over an area of about 500 sq. m. as against the approved area of 369.88 sq. m. under the layout sanctioned by KDA on 21.11.2008. Further, while approval existed for two floors (G+2), inspection revealed that an additional third floor (G+3) has also been constructed in direct contravention.



[Handwritten mark]

ii. That, an FIR/Inspection Report dated 25.06.2025 has been filed by the concerned officials of KDA in respect of the unauthorized construction, and further proceedings under Sections 27 and 27(1) of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 (as amended in 1997) have been initiated.

Copies of FIR dated 25.06.2025; and further proceedings initiated under Section 27 and 27(1) of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-5*.

iii. Thereafter, the respondents preferred a Writ Petition before the Hon'ble Allahabad High Court bearing title *WRIT-C No. 29112/2025, Dr. Brij Kishori*

Dubey Memorial Committee & Ors. vs. State of UP & Ors which has been disposed of vide order dated 26.08.2025.


A true copy of order dated 26.08.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-6*.

iv. That, thereafter, the respondents preferred an appeal before the Commissioner, Kanpur Division, which is presently pending adjudication.

A true copy of memo of the appeal is annexed herewith and marked as *Annexure-7*.

10. That, vide letter dated 24.12.2025 mentioned in the paras above, the following has been informed with respect to the second site in question i.e. Plot No. 84/63, Welfare Society, Tezab Mill Campus, Kanpur City:

i. That, an FIR/Inspection Report dated 25.06.2025 has been filed by the concerned officials of KDA in respect of the unauthorized construction, and proceedings



[Handwritten signature]

under Section 27 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 (as amended in 1997) have been initiated.

Copies of the FIR dated 25.06.2025; and further proceedings initiated under Section 27 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act, 1973 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-8*.

D. FURTHER DIRECTIONS ISSUED BY DEPONENT TO KDA

11. That, the deponent, vide letter No. 253/ST/2025 dated 26.12.2025, once again directed the Vice-Chairman, KDA, Kanpur Nagar to ensure that all necessary legal action is taken in accordance with the applicable environmental standards and building construction rules, and that the directions of the Hon'ble Tribunal are complied with in their true letter and spirit.

A copy of letter dated 26.12.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-9*.


12. Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

29/12/2025
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at KANPUR on this 29 day of December 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.




29.12.2025
DEPONENT

certified that this document presented before me today by Sri. [Signature] who is identified by Sri. [Signature] verified per Identification. Hence Attested
Virendra Kumar Upadhyay
Notary Govt. of India
Kanpur Nagar (U.P.)
29/12/25



कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

फोन नंबर (0512) 2304436, 2304287

ईमेल- dmkap@nic.in

पत्रांक: 0714 / एस.टी. / 2025

दिनांक: 30 सितंबर, 2025

सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या: 283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक: 30.05.2025 का संदर्भ लें, जो अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुआ है, जिसमें मा० अधिकरण द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त के क्रम में मा० अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन के हित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियत तिथि से पूर्व प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत भी कराएं।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि: अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), कानपुर नगर को संलग्न सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।



कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

फोन नंबर (0512) 2306577

ईमेल- dmkap@nic.in

पत्रांक: 242/एस.टी./2025


दिनांक: 23 दिसम्बर, 2025

सचिव,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 8714 दिनांक 30/9/2025 का संदर्भ ले, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में पुनः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय से प्रकरण में कार्यवाही की आख्या चाही गई है।

अतः उपरोक्त विषय में पूर्व पत्र के क्रम में अब तक आपके द्वारा की गई कार्यवाही और पब्लिक पार्क के विषय में मानकों के अनुपालन के संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण अधोहस्ताक्षरी को लौटती डाक से उपलब्ध कराएं ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष जिलाधिकारी(प्रतिवादी संख्या-4) की ओर से प्रति शपथपत्र दाखिल किया जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण संदर्भ /
अतिमहत्वपूर्ण / समयवद्ध



कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

फोन नंबर (0512) 2306577

ईमेल- dmkap@nic.in


पत्रांक: 243 / एस.टी. / 2025

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2025


उप जिलाधिकारी(सदर),
कानपुर नगर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के संबंध में याची द्वारा अपनी याचिका में उठाए गए बिन्दुओं के संबंध में स्थलीय सत्यापन कर लें और मौके की स्थिति एवं अभिलेखों का मिलान करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति एवं अन्य सुसंगत विवरण से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र प्राथमिकता पर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि: सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर को इस आशय से कि उपर्युक्त विषय में उप जिलाधिकारी(सदर), कानपुर नगर से समन्वय करते हुए तथ्यों एवं कृत कार्यवाही की आख्या एवं तथ्यों की आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

102
कार्यालय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

संख्या:- 298 /एस0टी0-जांच/2025

दिनांक: दिसम्बर 24, 2025

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक 243/एस0टी0/2025 दिनांक 23.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के सम्बन्ध में याची द्वारा अपनी याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन कर लें और मौके की स्थिति एवं अभिलेखों का मिलान करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति एवं अन्य संसगत विवरण के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में जांच तहसीलदार सदर कानपुर नगर से करायी गयी। तहसीलदार सदर कानपुर नगर द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 24.12.2025 प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि-

यह कि उपरोक्त पत्र में संदर्भित परिसम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि परिसर नं0 152, ब्लाक डब्लू-1, स्कीम-2 जूही कलां, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी आवासीय योजना का भाग है, जिसका स्वामित्व एवं प्रबन्धन कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत है। प्रश्नगत भूखण्ड के जुज भाग लगभग 500 वर्गमीटर पर किशोरी वाटिका सामुदायिक केन्द्र निर्मित है, जिसका प्रबन्धन डा0 बृजकिशोरी दुबे स्मारक समिति को प्रदत्त एवं रामकृष्ण दुबे स्मारक समिति द्वारा संचालित बताया जा रहा है। स्थलीय जांच में प्रश्नगत भूखण्ड के अवशेष भाग पर निर्माण नहीं पाया गया तथा पार्क के स्वरूप में विकसित है, जो कि किशोरी वाटिका सामुदायिक केन्द्र के ही अध्यासन में है। उक्त के विषय में स्थानीय पूछताछ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्माण की जांच सम्प्रति कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

संदर्भित द्वितीय सम्पत्ति (प्लॉट सं0 84/63 वेलफेयर सोसायटी, तेजाब मिल कैम्पस, कानपुर नगर) की भी स्थलीय जांच की गयी। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग पर आबादी का विस्तार है। मौके पर आवासीय/वाणिज्यिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। स्थानीय पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड के जुज भाग पर पूर्व में एक पार्क विद्यमान था, जिस पर वर्तमान में डा0 बृजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल संचालित है। उपरोक्त सम्पत्ति का प्रबन्धन भी कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत है। उक्त परिसम्पत्तियों पर निर्माण पाये गये, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रयोजनार्थ गतिविधियां संचालित पायी गयी। उक्त परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों के विषयक आख्या कानपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम कानपुर के स्तर से लिया जाना अपेक्षित है।

अतः तहसीलदार सदर कानपुर नगर की मूल जांच आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(अनुभव सिंह)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/
उपजिलाधिकारी सदर
कानपुर नगर।

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के पत्र सं० 243/एस0टी0/2025 दिनांक 23/12/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला वनाग कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य के सम्बन्ध में याची द्वारा उठाये गये विन्दुओं के सम्बन्ध में स्थलीय सत्यापन, मौके की स्थिति एवं अभिलेखों का मिलान करते हुए प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति एवं अन्य सुसंगत विवरण की आख्या प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में 02 सम्पत्तियों का उल्लेख किया गया है। सम्पत्तिवार जांच आख्या निम्नवत है:-

यह कि उपरोक्त पत्र में संदर्भित परिसम्पत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि परिसर नं० 152, ब्लॉक डब्लू-1, स्कीम-2 जूही कलां, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी आवासीय योजना का भाग है, जिसका स्वामित्व एवं प्रबन्धन कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत है। प्रश्नगत भूखण्ड के जुज भाग लगभग 500 वर्गमीटर पर किशोरी वाटिका सामुदायिक केन्द्र निर्मित है, जिसका प्रबन्धन डा० बृजकिशोरी दुबे स्मारक समिति को प्रदत्त एवं रामकृष्ण दुबे स्मारक समिति द्वारा संचालित बताया जा रहा है। स्थलीय जांच में प्रश्नगत भूखण्ड के अवशेष भाग पर निर्माण नहीं पाया गया तथा पार्क के स्वरूप में विकसित है, जो कि किशोरी वाटिका सामुदायिक केन्द्र के ही अध्यासन में है। उक्त के विषय में स्थानीय पूछताछ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्माण की जांच सम्प्रति कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

इसी प्रकार पत्र में संदर्भित द्वितीय सम्पत्ति (प्लॉट सं० 84/63 वेलफेयर सोसायटी, तेजाब मिल कैम्पस, कानपुर नगर) की भी स्थलीय जांच की गयी। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के सम्पूर्ण भाग पर आबादी का विस्तार है। मौके पर आवासीय/वाणिज्यिक/व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित है। स्थानीय पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड के जुज भाग पर पूर्व में एक पार्क विद्यमान था, जिस पर वर्तमान में डा० बृजकिशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल संचालित है। उपरोक्त सम्पत्ति का प्रबन्धन भी कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत है।

इस प्रकार स्थलीय निरीक्षण में उभय परिसम्पत्तियों पर निर्माण पाये गये, जिनमें भिन्न-भिन्न प्रयोजनार्थ गतिविधियां संचालित पायी गयी। उभय परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों के विषयक आख्या कानपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम कानपुर के स्तर से दिया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में आख्या उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- प्रश्नगत सम्पत्तियों से सम्बन्धित छायाचित्र।

24/12/25
निम्नलिखित
परि सं०

24/12/25
(सर्वेक्षण
प्रदेशिक)

24-12-25

A
NI-PW
24/12/25

अग्रसारित
24/12/25
Teh (S)



Plot 152, Block W-1, Juhi Kalan, Saket Nagar

104



GPS Map Ca




Kanpur, Uttar Pradesh, India 
127/337, W1 Block, Juhi Kalan, Saket Nagar, Kanpur,
Uttar Pradesh 208014, India
Lat 26.43599° Long 80.309982°
Wednesday, 24/12/2025 01:53 PM GMT +05:30

ogle



GPS Map Ca



Kanpur, Uttar Pradesh, India 
127/337, W1 Block, Juhi Kalan, Saket Nagar, Kanpur,
Uttar Pradesh 208014, India
Lat 26.43602° Long 80.309998°
Wednesday, 24/12/2025 01:53 PM GMT +05:30

ogle

84/63 बेमकम लोहा 105 जेजाब मिन कमर, काणपुर




GPS Map Camera



Google

Kanpur, Uttar Pradesh, India 
56, Anwarganj, Darshan Purwa, Kanpur, Uttar Pradesh
208012, India
Lat 26.458611° Long 80.32287°
Wednesday, 24/12/2025 12:57 PM GMT +05:30

84/63 ब्रिज कृष्ण मेमोरियल स्कूल 106 देवा आर कृष्ण, काणपुर



Kanpur, Uttar Pradesh, India 

87a, Barra-2, Tezab Mill Colony, Darshan Purwa,
Kanpur, Uttar Pradesh 208006, India

Lat 26.456849° Long 80.32165°

Wednesday, 24/12/2025 01:02 PM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

84/63 गमकन लोहादी, 107a मिम कम्पन, काणपुर



GPS Map Camera



Kanpur, Uttar Pradesh, India 🇮🇳

92, Barra-2, Tezab Mill Colony, Darshan Purwa,
Kanpur, Uttar Pradesh 208006, India

Lat 26.456911° Long 80.321541°

Wednesday, 24/12/2025 01:02 PM GMT +05:30

84/63 गमकन लोहादी, 108 आ मम कर्म, काणपुर



GPS Map Camera



Kanpur, Uttar Pradesh, India 

92, Barra-2, Tezab Mill Colony, Darshan Purwa,
Kanpur, Uttar Pradesh 208006, India

Lat 26.456911° Long 80.321548°

Wednesday, 24/12/2025 01:02 PM GMT +05:30



कार्यालय कानपुर विकास प्राधिकरण,
(अनुभाग-प्रवर्तन जोन-3)

पत्रांक:-डी/1833/ओएसओडी0 प्रवर्तन(जोन-3)/का0वि0प्रा0/2025-26

दिनांक:- 24/12/2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कानपुर नगर।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्र संख्या-242/एस0टी0/2025 दिनांक 23.12.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ORIGINAL APPLICATION NO.-283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण व अन्य के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और पब्लिक पार्क के विषय में मानको के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में आख्या निम्नवत् है:-

श्री अखिलेश दुबे व अन्य, नि0-परिसर नं0-152, ब्लाक डब्लू-1, स्कीम-2, जूही कला, कानपुर नगर

1. शिकायत के आधार पर प्रश्नगत प्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्लू-1, स्कीम-द्वितीय, जूही कला, कानपुर नगर पर कराये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध दिनांक 25.06.2025 को सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा "शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर लगभग 500 वर्ग मी0 पर निर्माण किया गया है। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।" का उल्लेख करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
2. प्रतिवादी द्वारा कराये गये निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये कार्यालय पत्रांक-D/730/OSD (Enf-3)/KDA/25-26 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया, जिसमें प्रतिवादी श्री अखिलेश दुबे व अन्य को सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2025 की तिथि निर्धारित कर अपना उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया।
3. उक्त नोटिस के क्रम में प्रतिवादी/उनके प्रतिनिधि द्वारा न तो उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।
4. प्रतिवादी को एक अन्य अवसर प्रदान करते हेतु कार्यालय पत्रांक-D/895/Enf-3/KDA/25-26 दिनांक 22.07.2025 के द्वारा पुनः सुनवाई नोटिस प्रेषित किया गया, जिसमें प्रतिवादी श्री अखिलेश दुबे व अन्य को सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2025 की तिथि निर्धारित कर अपना उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया।
5. उक्त नोटिस के क्रम में प्रतिवादी/उनके प्रतिनिधि द्वारा न तो उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।
6. प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर/अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की सुसंगत धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यालय पत्रांक-D/1030/Enf-3/KDA/25-26 दिनांक 08.08.2025 को भवन गिराने का नोटिस निर्गत किया गया, उक्त नोटिस के माध्यम से प्रतिवादी को आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिनों के भीतर अनाधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को स्वयं हटाये जाने के निर्देश दिया गया(छायाप्रति संलग्न)
7. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत भूखण्ड के क्रम में अन्य अनुभागों की आख्या निम्नवत् है:-

1. प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता जोन-3 द्वारा अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या-152 क्षेत्रफल 3719 वर्ग मी0 पर स्थित कम्प्यूनिटी सेन्टर एवं पार्क का सीमान्कन करते हुये अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर स्थित कम्प्यूनिटी सेन्टर का क्षेत्रफल वर्तमान में 735.70 वर्ग मी0 है अर्थात् 369.88 वर्गमी0 पर बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण (स्थायी/अस्थायी) किया गया है। दिनांक 30.05.1978 को भूखण्ड संख्या-152 स्थित पार्क क्षेत्रफल 3353.18 वर्गमी0 नगर निगम को अवस्थापना सुविधायें जैसे पार्क, सड़क, नाले इत्यादि के रख-रखाव हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया है।
2. मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या-152 के0डी0ए0 में उपलब्ध ले-आउट में पार्क/कम्प्यूनिटी सेन्टर के रूप में दर्शित है। कम्प्यूनिटी सेन्टर के प्लॉट का क्षेत्रफल 365.82 वर्ग मी0 है, जिसके उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में पार्क दर्शित है। उक्त भूखण्ड पर कम्प्यूनिटी सेन्टर का मानचित्र दिनांक 21.11.2008 में ग्राउण्ड + प्रथम तल + द्वितीय तल (जी+2) तक ही स्वीकृत था, परन्तु मौके पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुये एक अतिरिक्त तृतीय तल अर्थात् (जी+3) का निर्माण मौके पर पाया गया।

(बृजेन्द्र उपाध्याय)

3. विशेष कार्याधिकारी विक्रय जोन-3 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या-152, ब्लाक डब्लू-1, योजना संख्या-2, जूही कला, कानपुर नगर क्षेत्रफल 365.82 वर्ग मी० की लीज डीड दिनांक 26.12.2005 को डा० ब्रिज किशोरी दुबे स्मारक समिति द्वारा सचिव अखिलेश दुबे पुत्र आर०के० दुबे, निवासी 127/यू/428 निराला नगर कानपुर नगर के पक्ष की गयी है। यह लीज डीड बिल्डिंग आफ कम्यूनिटी सेन्टर के रूप में 90 वर्षों के लिये आवंटित की गयी थी।
8. प्रतिवादी द्वारा उक्त आदेश के क्रम में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-निल/2025 डा० ब्रिज किशोरी दुबे स्मारक समिति व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य दाखिल किया गया।
9. उक्त वाद के क्रम में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2025 को आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है(छायाप्रति संलग्न):-
1. Disposed of.
 2. For order see our order of date passed in Writ-C No. 29114 of 2025 (Nikhilesh Dubey Vs. State of U.P. and 3 Others).
10. उक्त मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के क्रम में प्रतिवादी द्वारा न्यायालय आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर के अपील दाखिल किया गया है(छायाप्रति संलग्न)। प्रकरण न्यायालय आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर में विचाराधीन है।
- श्री अखिलेश दुबे, प्लॉट संख्या-84/63, वेलफेयर सोसायटी, तेजाब मिल कैम्पस, कानपुर नगर**
1. शिकायत के आधार पर प्रश्नगत प्लॉट संख्या-84/63, वेलफेयर सोसायटी, तेजाब मिल कैम्पस, कानपुर नगर पर कराये गये अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध दिनांक 25.06.2025 को सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा "शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किया गया है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।" का उल्लेख करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।
 2. प्रतिवादी द्वारा कराये गये निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये कार्यालय पत्रांक- D/728/OSD(Enf-3)/KDA/25-26 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया, जिसमें प्रतिवादी श्री अखिलेश दुबे को सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2025 की तिथि निर्धारित कर अपना उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया।
 3. उक्त नोटिस के क्रम में प्रतिवादी/उनके प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 08.07.2025 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रतिउत्तर में "स्वीकृत मानचित्र 25 वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण व दीवार में बनी अलमारी में रखे होने के कारण नमी से धुंधले हो गये हैं। स्वीकृत मानचित्र की सत्यापित प्रतियाँ हेतु के०डी०ए० से नियमानुसार प्रमाणित प्रतिया प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उपलब्ध होने पर आपको प्रेषित की जायेगी।" का उल्लेख करते हुये प्रतिउत्तर के साथ मानचित्र के एक अंश की छायाप्रति ही संलग्न की गयी थी, जिसका मानचित्र परमिट सं०-44/भवन/1997-98 अंकित है, किन्तु पूर्ण मानचित्र की छायाप्रति संलग्न नहीं किया गया।
 4. मुख्य नगर नियोजक द्वारा उक्त मानचित्र परमिट संख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि भवन रिकार्ड अनुभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त मानचित्र परमिट संख्या की पत्रावली कम्प्यूटर पर दर्ज एवं स्कैन न होने के कारण पत्रावली के सम्बन्ध में जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
 5. प्रकरण के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथासंशोधित 1997 की धारा 27 के अन्तर्गत अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया में वाद गतिमान है। वाद निस्तारण के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

25/

विशेष कार्याधिकारी प्रवर्तन(जोन-3)
का०वि०प्रा०, कानपुर।

(वृजेन्द्र उपाध्याय,
विशेष कार्याधिकारी
का०वि०प्रा०, कानपुर)

111

0004005



कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

थाना-किदवई नगर

(जोन-3)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सेवा में,

सचिव महोदय प्रवर्तन (जोन-3)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

- 1-निर्माण करने की सम्भावित तिथि:- शिकायत के आधार पर
- 2-निर्माण देखे जाने की तिथि
- 3-निर्माण करने की जगह

प्लॉट संख्या:- 152

ब्लॉक/सेक्टर नं:- डब्लू-1

स्वीकृत संख्या:-

मकान नं०

मुहल्ला:- साकेत नगर

खुली भूमि सं०

गाँव:- कानपुर नगर।

कानपुर (नगर)

4-अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा :-शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर लगभग 500 वर्ग मी० पर निर्माण किया गया है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

5-निर्माण करने वाले का नाम व पता:- श्री अखिलेश दुबे व अन्य

प्लॉट संख्या-152, ब्लॉक डब्लू-1,

साकेत नगर, कानपुर नगर।

6-प्रस्तावित कार्यवाही :- अनाधिकृत निर्माण को गिराने के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा जाय/अनाधिकृत निर्माण करने का चालान भेजा जाये।

रिपोर्ट करने वाले/पद नाम

7-रिपोर्ट करने की सिफारिश :- कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। चालान किया जाये।

नोट:- यदि धारा 27 के प्रतिबन्ध के अनुसार कारण बताने का नोटिस जारी करना है तो नोटिस भी साथ में नत्थी किया जाय और यह भी आदेश प्राप्त किया जाय कि यदि नोटिस लेने से इंकार या हीलाहवाली हो तो मौके पर चरपा किया जाय।

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पद नाम

आधिकारी का आदेश :-कारण बताने का नोटिस भेजिये।चालान किया जाये।

नोट :-उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश

द्वारा अधिकारी व कर्तव्य मुझको

प्रतिनिधित्व

(डिप्लोमा) कर दिये हैं।

(जोन)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

25/6/25
26/6/25
27/6/25

112

कार्यालय विहित प्राधिकारी

कानपुर विकास प्राधिकरण

के. डी. ए. कंपाउंड, मोतीझील, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र-(क)

(रूपया विनमय 8 देखिये)

कारण बताओ नोटिस

दिनांक: 04/07/2025

प्रेषण दिनांक: 04/07/2025

याद संख्या: KDA/Z3/ANI/2025/0003997

प्रेषण संख्या: KDA/DSP/0009249

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के आधीन नोटिस

D/730/050 (एनए-3)/KDA/25-26

कानपुर विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री अखिलेश दुबे व अन्य

Date 04/7/25

भूखंड संख्या:	प्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्ल्यू-1, साकेत नगरप्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर। प्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर।	मोबाइल नंबर:
जोन:	ZONE 3	ईमेल आईडी:

अनाधिकृत निर्माण का विवरण:-

अनाधिकृत निर्माण का विवरण	शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर लगभग 500 वर्ग मी० पर निर्माण किया गया है।
अनाधिकृत निर्माण स्थल का पता	प्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर।
अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	25/06/2025
दिनांक जब अनाधिकृत निर्माण कार्य पाया गया	25/06/2025
चौहद्दी	
पूरब	NA
पश्चिम	NA
उत्तर	NA
दक्षिण	NA
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का नाम	श्री अखिलेश दुबे व अन्य
पट्टेदार / निर्माण / निर्माणकर्ता का पता	प्लॉट संख्या-152, ब्लाक डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर।
प्रस्तावित कार्यवाही	धारा 27
प्रतिवेदन करने वाले का पदनाम	श्री अर्पण सिंह
प्रतिवेदन करने वाले की सिफारिश	JE

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।

अतएव आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण कानपुर कार्यालय में दिनांक 18/07/2025 को सुबह 10 बजे यह बताएं कि पूर्वोक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।

आप स्वयं अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

प्रवर्तन ऐप से प्राप्त विवरण:-

1. भूखण्ड का अनुमानित छेत्रफल (वर्ग मीटर)	500
2. जोन	ZONE 3
3. क्या अवैध प्लॉटिंग हुई है?	नहीं
4. क्या मानचित्र की स्वीकृति है ?	नहीं
4.1 क्या ग्रीन बेल्ट में निर्माण किया जा रहा है ?	नहीं
4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय

टिप्पणी : आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्पण दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो 50,000/- रूप० (रूपया 50 हजार) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के बाद, जारी हो रूप० 2,500/- तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

भारतीय डाक
 EN5731147533M IVR:6985573114
 SP 80013WHEEL 50 KANPUR WZAP
 Counter No:1.05/07/2025.12:4
 To:AKHILESH DUBE, PLOT NO 152 BLDC
 PIN:208014, Juhā Colony 50
 From:ABHAY KUMAR WISHERI KARYAKSHI
 Wt:20gms
 Amt:17.70.Tax:2.70.Net.Paid:18.00(Cash)
 (Track on www.indiapost.gov.in)
 (Dial 18002655333) (Wear mask -Bin safe)

Shri Abhay Kumar Purody
 कर्मचारी
 कानपुर विकास प्राधिकरण

113



कार्यालय विहित प्राधिकारी

कानपुर विकास प्राधिकरण
गे. सी. ए. फेपाउंड, मोतीझील, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
प्राप्त - (क)
(कृपया विनियम 9 देखिये)

भवन गिराने का नोटिस

कार्यालय विहित प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा (1) के अधीन

दिनांक : 08/08/2025

वाद संख्या : KDA/Z3/ANI/2025/0003997

प्रेषण दिनांक : 08/08/2025

प्रेषण संख्या : KDA/DSP/0009448

D/1030 / ENF-3 / KDA/25-26

Date 08/8/25

कानपुर विकास प्राधिकरण बनाम श्री अखिलेश दुबे व अन्य

भूखण्ड सं० प्लॉट संख्या-152, ब्लॉक डब्लू-1, साकेत नगरप्लॉट संख्या-152, ब्लॉक डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर। प्लॉट संख्या-152, ब्लॉक डब्लू-1, साकेत नगर, कानपुर नगर।, साकेत नगर

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 की उपधारा के अधीन भवन गिराने की आज्ञा

उपरोक्त स्थल पर स्थित भवन जिसमें आपने परिसर में बिना स्वीकृत मानचित्र के अनधिकृत निर्माण किया है। जिसमें आपको सुनवाई का और यह बताने का समुचित अवसर दिया गया था कि अनाधिकृत निर्माण को क्यों न गिरा दिया जाए।

क्यों कि आप ऐसी आज्ञा जारी करने के विरुद्ध कारण बताने में असफल रहे हैं। और आपने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है।

अतएव आपसे अपेक्षा कि जाती है कि इस आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अनधिकृत निर्माण एवं विकास कार्य को स्वयं हटा ले अन्यथा विकास प्राधिकरण द्वारा गिरा दिया जायेगा तथा गिराने का व्यय भार राजस्व के रूप में वसूला जायेगा।


Abhay Kumar Pandey
कानपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि - जोनल अधिकारी/अधि० अभि० को अग्रेतर कार्यवाही हेतु।


Abhay Kumar Pandey
सक्षम प्राधिकारी
कानपुर विकास प्राधिकरण



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 29114 of 2025

Nikhilesh Dubey

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s) : Gautam Baghel
Counsel for Respondent(s) : Anand Prakash Paul, C.S.C., Yash Padia

Court No. - 29

**HON'BLE MAHESH CHANDRA TRIPATHI, J.
HON'BLE NAND PRABHA SHUKLA, J.**

1. Heard Sri R.K. Ojha, learned Senior Counsel assisted by Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner, Sri Anoop Trivedi, learned Senior Counsel assisted by Sri Yash Padia, learned counsel for the Kanpur Development Authority (in short "KDA"), learned Additional Chief Standing Counsel for the State-respondents.

2. The instant writ petition preferred assailing the validity of the impugned order dated 08.08.2025 issued by the respondent No. 4 under Section 27(1) of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (in short "Act, 1973").

3. At the outset, Sri Anoop Trivedi, learned Senior Counsel appearing for KDA raised an objection qua the maintainability of the instant writ petition on the ground of alternative efficacious remedy. He submits that the order impugned has been passed under Section 27 (1) of the Act, 1973 against which there is efficacious remedy to press appeal before the Division Commissioner under Section 27 (2) of the Act, 1973. Even thereafter the petitioner may press relief under Section 41 (3) of the Act, 1973. Once exhaustive procedure is provided under the Act, 1973, there is no reason or occasion to bypass the statutory forum.

4. Sri R.K. Ojha, learned Senior Advocate appearing for the petitioner, confronted with this situation, has confined his relief to the effect that in case

the matter is relegated by this Court to the appellate forum, in the interest of justice, the appellate authority may be directed to consider the interim relief application expeditiously, otherwise if the demolition is carried out, for all practical purposes, the writ petition would become infructuous and the petitioner shall suffer irreparable loss and injury. He submits that till disposal of the said application, the KDA may be restrained to carry out any demolition. In support of this submission, he has placed reliance upon the judgment of Hon'ble Apex Court in **Mool Chand Yadav and Another Vs. Raza Buland Sugar Company Limited, Rampur, (1982) 3 SCC 484** and Division Bench Judgment passed in **Ambar Gangwar Vs. State of U.P. in Writ-C No. 45507 of 2023** dated 25.12.2023.

5. Considering the factual situation as well as the categorical objection, once efficacious remedy is available to the petitioner, we are not inclined to interfere in the matter at this stage. However, in the interest of justice, without expressing any opinion on merits of the issue, it is provided that in case against the order impugned, the petitioner prefers an appeal along with stay application within two weeks, we hope and trust that the appellate authority shall consider and decide the stay application in accordance with law in further four weeks and shall also make an endeavour to decide the appeal expeditiously but certainly after giving ample opportunity to KDA.

6. Till the disposal of the stay application, the parties shall maintain status quo as on today qua the property in dispute. The petitioner is also restrained to carry out any further construction or development or to create third party interest over the property in dispute.

7. The writ petition stands **disposed of** accordingly.

(Nand Prabha Shukla,J.) (Mahesh Chandra Tripathi,J.)

August 26, 2025

Shivani

प्रिंट निकालें

मण्डल: - कानपुर न्यायालय: - आयुक्त

वाद सं०:	3245/2025	कंप्यूटरीकृत वाद सं०:	C202503000003245
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	डा० बृज किशोरी दुबे स्मारक समिति, 127/576 डब्ल्यू 1 साकेत नगर, कानपुर नगर बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण, मोतीझील, कानपुर नगर	वाद की स्थिति:	बहस
वाद प्रकृति:	मूल वाद	दाखिल करने का दिनांक:	25-Sep-2025
अगला सुनवाई दिनांक:	10-Dec-2025	अधिनियम, धारा:	3090 संहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973, 27(2)
		खाता संख्या:	---
		खसरा संख्या:	---
		क्षेत्रफल:	---

आईर शीट का विवरण

क्र सं०	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	---	---	10/11/2025	याह्यता
2	10/11/2025	याह्यता	12/11/2025	याह्यता
3	12/11/2025	याह्यता	13/11/2025	याह्यता
4	13/11/2025	याह्यता	17/11/2025	याह्यता
5	17/11/2025	याह्यता	19/11/2025	याह्यता
6	19/11/2025	याह्यता	26/11/2025	बहस
7	26/11/2025	बहस	08/12/2025	बहस
8	08/12/2025	बहस	10/12/2025	बहस

Disclaimer: उपरोक्त सूचना मात्र सूचनाार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना में कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बन्धित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

117

0004006

थाना-रायपुरवा



कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

(जोन-3)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सेवा में,

सचिव महोदय प्रवर्तन (जोन-3)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

- 1-निर्माण करने की सम्भावित तिथि:- शिकायत के आधार पर
- 2-निर्माण देखे जाने की तिथि
- 3-निर्माण करने की जगह

प्लॉट संख्या:- 84/63

ब्लॉक/सेक्टर नं०:-

स्कीम संख्या:-

मकान नं०

मुहल्ला:- वेलफेयर सोसायटी,

तेजाब मिल कैम्पस

खुली भूमि सं०

गाँव:- कानपुर नगर।

कानपुर (नगर)

4-अनाधिकृत निर्माण का ब्योरा :-शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किया गया है। उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

5-निर्माण करने वाले का नाम व पता:- श्री अखिलेश दुबे

प्लॉट संख्या-84/63, वेलफेयर सोसायटी,

तेजाब मिल कैम्पस, कानपुर नगर।

6-प्रस्तावित कार्यवाही :- अनाधिकृत निर्माण को गिराने के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा जाय/अनाधिकृत निर्माण करने का चालान भेजा जाये।

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पद नाम

7-रिपोर्ट करने की सिफारिश :- कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। चालान किया जाये।

नोट:- यदि धारा 27 के प्रतिबन्ध के अनुसार कारण बताने का नोटिस जारी करना है तो नोटिस भी साथ में नत्थी किया जाय और यह भी आदेश प्राप्त किया जाय कि यदि नोटिस लेने से इंकार या हीलाहवाली हो तो मौके पर चस्पा किया जाय।

रिपोर्ट करने वाले के हस्ताक्षर/पद नाम

अधिकारी का आदेश :-कारण बताने का नोटिस भेजिये।चालान किया जाये।

नोट :-उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण के आदेश

दिनांक द्वारा अधिकारी व कर्तव्य मुझको

प्रतिनिधानित

(डेलीगेट) कर दिये हैं।

.....(जोन)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।



118

कार्यालय विहित प्राधिकारी
कानपुर विकास प्राधिकरण
के. डी. ए. कंपाउंड, मोतीझीस, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
प्रपत्र-(क)
(कृपया विनमय 8 देखिये)

07/2025
14/07/2025
कारण बताओ नोटिस
वाढ संख्या: KDA/Z3/ANI/2025/0004001
प्रेषण संख्या:KDA/DSP/0009247

D/728/050 (Enf-3)/KDA/25-26

कानपुर विकास प्राधिकरण
बनाम
श्री अखिलेश दुबे


Date- 04/7/25

प्लॉट संख्या :	प्लॉट संख्या-84/63,, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पसप्लॉट संख्या-84/63, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पस, कानपुर नगर।, प्लॉट संख्या-84/63, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पस, कानपुर नगर।, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पस,	मोबाइल नंबर :
	ZONE 3	ईमेल आईडी:

विकास का विवरण	शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशन में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल पर पूर्व निर्मित एवं अध्यासित स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण किया गया है।
स्थल का पता	प्लॉट संख्या-84/63, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पस, कानपुर नगर।
कार्य प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि	25/06/2025
कार्य प्रारंभ होने का तिथि	25/06/2025
कार्यकर्ता का नाम	श्री अखिलेश दुबे
कार्यकर्ता का पता	प्लॉट संख्या-84/63, वेतफेयर सोसायटी तेजाब मित कैम्पस, कानपुर नगर।
कार्यकर्ता का पता	धारा 27
कार्यकर्ता का पता	श्री अर्पण सिंह
कार्यकर्ता का पता	JE

कानपुर विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 एवं धारा-15 के आदेशानुसार विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उक्त निर्माण किया गया है।
अनुज्ञा की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी विकास प्राधिकरण कानपुर कार्यालय में दिनांक 18/07/2025 को सुबह 10 बजे यह बताएं कि पूर्वोक्त निर्माण कान्सट्रक्शन को गिरा देने का आदेश क्यों न दिया जाए।
यदि कृपया विधि प्राधिकृत अधिकर्ता द्वारा उपस्थिति हो सकते हैं और लिखित बयान भी दे सकते हैं।

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	300		
क्षेत्र है ?	ZONE 3		
क्षेत्र है ?	नहीं		
क्षेत्र है ?	नहीं		
क्षेत्र किया जा रहा है	नहीं	4.2 किस प्रयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है ?	आवासीय



अधिनियम की धारा 26 (1) की ओर भी दिताया जाता है जिसके अधीन आप उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना निर्माण कार्य करने के लिए अर्ध दण्ड के भागी हो सकते हैं। जो कि आप को मालूम है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माना जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके अपराध के प्रथम बार कारित किए जाने हेतु के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाने के लिए लगाया जा सकता है, दंडनीय होगा।

Shri Abhay Mohan Pandey
पंचम प्राधिकारी
कानपुर विकास प्राधिकरण

भारतीय डाक
EUS730146ABIN INR:69855731196
SR MOTT/REFL SD KANPUR NAGAR
Counter No:1,05/07/2025,12:41
To:KANTHESH DUBE,84/63 WLFHRE SD
PIN:206003, Anwarbagi SD
From:SHRI ABHAY MOHAN PANDAY, KANPUR
Dt:2025
Amt:17.70, Tax:2.70, Amt.Paid:18.00(Cash)
Track to www.indianpost.gov.in



सेवा में,
उपाध्याक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

विषय-वेलफेयर सोसायटी तेजाब मिल कैम्पस अनवरगंज, कानपुर भूमि सं०-84/63 अनवरगंज, कानपुर नगर में के०डी०ए० से ले आउट स्वीकृत होने के उपरान्त आवासित परिसर में स्कूल भूखण्ड पर संचालित होने वाले डा० वृज किशोरी दुबे ममोरियल स्कूल के सम्बन्ध में मांगे गये अभिलेखों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा पत्रांक सं०-डी/417/ओ०एस०डी० प्रवर्तन (जोन-3)/का०वि०प्रा०/2025-26 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से डा० वृज किशोरी दुबे ममोरियल स्कूल के भू स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेखों की व स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि उत्तरीय रेलवे सहकारी आवास समिति लि० द्वारा तेजाब मिल कैम्पस अनवरगंज, कानपुर नगर स्थित भूमि सं०-84/63, अनवरगंज, कानपुर नगर को कानपुर विकास प्राधिकरण से ले आउट पास कराकर आवासीय सुविधाओं हेतु विकसित किया गया था। उक्त योजना में विद्यालय व पार्क के लिये भूखण्ड का भी प्रावधान है। जिसमें भूखण्ड के 1/2 भाग में विद्यालय का प्रावधान व तथा शेष 1/2 भाग पार्क/क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किये जाने का भी प्रावधान था।

यह भी विदित हो कि उक्त आवास समिति द्वारा डा० वृज किशोरी दुबे स्मारक समिति व रतन चंद कल्लू राम ब्रम्हखत्री स्मारक समिति को चार विक्रयपत्रों के माध्यम से भूमि का विक्रय किया गया था तथा कब्जा प्रदान किया गया था। कालान्तर में उक्त समितियों द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड पर डा० वृज किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल का निर्माण कराया गया।

यह भी विदित हो कि उत्तरीय रेलवे सहकारी आवास समिति के अनुरोध पर भूखण्ड के मदन सिंह गब्रियाल भाग की रिक्त भूमि को स्कूल की समिति द्वारा विकसित किये जाने के उद्देश्य से उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड को आवंटित किया गया तथा धूप व बरसात से बचाव के लिये शेड का निर्माण किया गया तथा हरियाली विकसित की गयी। इसी के साथ पार्क में प्रकाश व्यवस्था, माली, चौकीदार व सफाई कर्मचारी की व्यवस्था भी की गयी तथा पेय जल हेतु बोरिंग व टंकी की व्यवस्था एवं बैठने के लिये बैंचे व बच्चों के झूले तथा शौचालय का निर्माण कराया गया तथा उनका रखरखाव, रंगाई पुताई व मरम्मत आदि कार्य का दायित्व एवं व्यय आदि समिति डा० वृज किशोरी दुबे स्मारक समिति द्वारा निर्वहन किया जाता है। पार्क/क्रीड़ा स्थल स्थानीय निवासियों के लिये नियमित रूप से खेला जाता है।

रूप से उपयोग किये जाने हेतु उपलब्ध रहता है। इसी पार्क/क्रीड़ा स्थल को स्कूल के बच्चे भी खेलकूद के लिये उपयोग में लाते हैं। स्थानीय नागरिकों एवं जन साधारण के लिये क्रीड़ा स्थल सदैव उपयोग के लिये उपलब्ध रहता है।

पारस्परिक सहमति से वेलफेयर सोसायटी द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में स्कूल समिति की सहमति से पार्क/क्रीड़ा स्थल के रख रखाव के पूर्ण दायित्व के निर्वहन की अवधि स्कूल के अस्तित्व में रहने तक है। जब तक समिति द्वारा स्कूल का संचालन किया जाता रहेगा तब तक पार्क/क्रीड़ा स्थल का रख रखाव, मरम्मत, रंगाई पुताई व प्रकाश व्यवस्था, पानी, शौचालय, सफाई हेतु माली, चौकीदार, सफाई कर्मी व अन्य व्यवस्थाये स्कूल की समिति द्वारा वहन की जायेगी। इसके सापेक्ष स्कूल के छात्र/छात्राओं को खेलकूद के खुले स्थान को क्रीड़ा स्थल के रूप में प्रयोग में लाये जाने के भी अधिकारी होंगे। इस सम्बन्ध में पारस्परिक सहमति पत्र भी सम्पादित हुआ था जिसकी प्रति संलग्न है। खेल कूद हेतु खुले स्थान पर निर्बाध रूप से स्थानीय बच्चे खेलते हैं। इस भूखण्ड पर स्कूल अथवा समिति का किसी प्रकार से स्वत्व या स्वामित्व नहीं है।

वेलफेयर सोसायटी 84/63 तेजाब मिल कैम्पस में जो कि उत्तरी रेलवे सहकारी आवास समिति (लि०) द्वारा मेसर्स कानपुर केमिकल वर्क्स प्रा० लि० से पंजीकृत डीड के माध्यम से क्रय किया गया था तथा कानपुर विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका के नियमानुसार भू प्रयोग परिवर्तन कराकर नक्शा स्वीकृत कराते हुए अपने सदस्यों को बिक्री किये गये हैं तथा प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृति एवं भू प्रयोग तथा विकास शुल्क लेने के उपरान्त नक्शा स्वीकृत कराके आम नागरिक को बिक्री किया गया है जिसके बाद मेसर्स कानपुर केमिकल वर्क्स प्रा० लि० रजिस्टर्ड आफिस 84/61, हिमगिरि हाउस, अनवरगंज कानपुर नगर तथा उत्तरी रेलवे सहकारी आवास समिति लि० से संयुक्त रूप से डा० बृज किशोरी स्मारक समिति रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया है जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 20.02.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2593 के पृष्ठ सं० 277-326 क्रमांक सं० 1700 पर पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्र लगभग 167 वर्ग मीटर है।

रतनचन्द्र कल्लूराम ब्रम्ह खत्री स्मारक समिति द्वारा पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया है जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 28.02.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2593 के पृष्ठ सं० 327-368 क्रमांक सं० 1701 पर

पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्र लगभग 167 वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त इसी समिति द्वारा पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया है जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 01.03.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2596 के पृष्ठ सं० 21-62 क्रमांक सं० 1731 पर पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 167 वर्गमीटर है। इसके अतिरिक्त इसी समिति द्वारा पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया है जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 01.03.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2596 के पृष्ठ सं० 221-244 क्रमांक सं० 1735 पर पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 83 वर्गमीटर है।

उपरोक्त भूखण्ड क्षेत्रफल लगभग 700 वर्गगज पर के०डी०ए० से मानचित्र वर्ष 1999 में स्वीकृत हुआ है एवं वर्ष 2001 से स्कूल सुचारु रूप से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल संचालित हो रहा है।

वेलफेयर सोसायटी तेजाब मिल कैम्पस के ले-आउट प्लान में इस भूखण्ड का प्राविधान पार्क/स्कूल के लिये किया गया था। इस भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1400 वर्गगज है जिसमें लगभग 700 वर्गगज में विद्यालय का स्वत्व व स्वामित्व है एवं स्कूल की गतिविधिया संचालित होती है। स्कूल से सटे हुये खुली भूमि जो क्रीड़ा स्थल/पार्क के रूप में स्थानीय बच्चो द्वारा उपयोग में लायी जाती है। क्रीड़ा स्थल/पार्क का रखरखाव स्कूल की समिति द्वारा किया जाता है। स्कूल को संचालन को लगभग 25 वर्ष व्यतीत हो चुके है।

उपरोक्त रतनचन्द्र कल्लूराम ब्रम्ह खत्री स्मारक समिति द्वारा पंजीकृत बैनामा से क्रय किया गया है जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 28.02.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2593 के पृष्ठ सं० 327-368 क्रमांक सं० 1701 पर पंजीकृत किया गया है। रजिस्ट्री में इस भूखण्ड की चौहद्दी में पूर्व पार्क (खेलकूद का खुला स्थान अंकित है) इसी प्रकार जिसका जिला कानपुर में उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 01.03.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2596 के पृष्ठ सं० 21-62 क्रमांक सं० 1731 पर पंजीकृत किया गया है। रजिस्ट्री में इस भूखण्ड की चौहद्दी में पूर्व पार्क (खेलकूद का खुला स्थान अंकित है) उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक

20.02.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2593 के पृष्ठ सं० 277-326 कमांक सं० 1700 पर पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्र लगभग 167 वर्ग मीटर है। रजिस्ट्री में इस भूखण्ड की चौहद्दी में पूर्व पार्क (खेलकूद का खुला स्थान अंकित है) उप निबन्धक जोन-3 के कार्यालय के दिनांक 01.03.2001 को पुस्तक सं०-1, खण्ड सं० 2596 के पृष्ठ सं० 221-244 कमांक सं० 1735 पर पंजीकृत किया गया है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 83 वर्गमीटर है। रजिस्ट्री में इस भूखण्ड की चौहद्दी में पूर्व पार्क (खेलकूद का खुला स्थान अंकित है)

इस प्रार्थनापत्र के साथ तेजाब मिल स्कूल के पार्क/खेल कूद के खुले स्थान की फोटोग्राफ संलग्न हैं इसके अतिरिक्त वेलफेयर सोसायटी तेजाब मिल कैम्पस 84/63 के लेआउट की छायाप्रति भी संलग्न है।

स्वीकृत मानचित्र 25 वर्ष से अधिक पुराने होने के कारण व दीवार में बनी अलमारी में रखे होने के कारण नमी से धुंधले हो गये है। स्वीकृत मानचित्र की सत्यापित प्रतियों हेतु के०डी०ए० से नियमानुसार प्रमाणित प्रतिया प्राप्त किये जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उपलब्ध होने पर आपको प्रेषित की जायेगी।

दिनांक-

संलग्नक उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष

डा० बृज किशोरी दुबे स्मारक समिति,

द्वारा-

डा० अखिलेश दुबे (अध्यक्ष)
एडवोकेट

पता-127/576 डब्लू-1, साकेत नगर,
कानपुर नगर
मो०-9839039588



कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR

फोन नंबर (0512) 2306577

ईमेल- dmkap@nic.in

पत्रांक: 253 / एस.टी. / 2025

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2025

उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर नगर।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रस्तुत ओ०ए० संख्या-283/2025 सुधीर प्रकाश शुक्ला बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-10-2025 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें मा० अधिकरण द्वारा विपक्षीगण को उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उपर्युक्त विषय में उत्तर प्रदेश राज्य को द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर विपक्षी संख्या-04 के रूप में आबद्ध किया गया है।

2. प्रकरण संज्ञान में आने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-8714 दिनांक 30-09-2025 के द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण से कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी और पुनः मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-10-2025 की जानकारी मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उ०प्र० शासन के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त होने पर आपको कार्यालय पत्रांक संख्या-242 दिनांक 23-12-2025 के माध्यम से अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया था। तत्कम में विशेष कार्याधिकारी प्रवर्तन जोन-3, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 24-12-2025 प्रेषित की गई है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रिया में है।
3. इसी क्रम में उप जिलाधिकारी(सदर), कानपुर नगर की विस्तृत आख्या संख्या-289 दिनांक 24-12-2025 भी प्राप्त हुई है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि प्लॉट नम्बर-152, ब्लॉक डब्लू-01, स्कीम-02, जूही कलां, कानपुर नगर के पार्क के 500 वर्ग मी० भूमि पर सामुदायिक केन्द्र निर्मित है और तेजाब मील कैम्पस में संदर्भित भूखण्ड पर स्कूल संचालित है।

प्रश्नगत प्रकरण संवेदनशील प्रकृति का है एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा उपरोक्त विषय में शासकीय पक्ष चाहा गया है। अतः कृपया इस विषय में कानपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार अनुसार समस्त आवश्यक कायवाही विधि व प्रक्रियानुसार सुनिश्चित करते हुए पर्यावरणीय मानकों एवं भवन निर्माण नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और यदि किसी स्तर से कोई चूक अथवा अन्य लापरवाही हुई है, तो उसका दायित्व निर्धारित करते हुए कृत कार्यवाही से अविलम्ब अवगत कराया जाए ताकि मा० राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष समस्त तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सके।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर नगर।

25.12.2025